उत्तर प्रदेश शासन
लोक निर्माण अनुभाग-14
संख्या-48/423/2022/23-14-2022/22(जनरल)/2021
लखनऊ: दिनांक 16 अगस्त, 2022

वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्वांचल विकास निधि अनुदान संख्या-56 अन्तर्गत शासनादेश संख्या-7/2022/आई/130545/2022, दिनांक 07.01.2022 द्वारा स्वीकृत कुल 150 परियोजनाओं में क्रमांक-34 पर अंकित जौनपुर की एक परियोजना "शेख अशरफपुर पुल से नहर की पटरी होते हुए ताजूपुर से होकर भिखारीपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में रू0 232.30 लाख" की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनराशि रू0 23.23 लाख प्रथम किस्त के रूप में अवमुक्त की गयी थी।

2- मुख्य विकास अधिकारी, जौनपुर द्वारा अपने पत्र संख्या-2363/पू0वि0नि0(राज्यांश)/22, दिनांक 12.07.2022 द्वारा उपरोक्त परियोजना पर अवमुक्त धनराशि राजकोष में जमा कराते हुए परियोजना की स्वीकृति को निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त के क्रम में शासनादेश संख्या-7/2022/आई/130545/2022, दिनांक 07.01.2022 में क्रमांक-34 पर अंकित परियोजना "शेख अशरफपुर पुल से नहर की पटरी होते हुए ताजूपुर से होकर भिखारीपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य" की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति को एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

3- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 07.01.2022 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश दिनांक 07.01.2022 की शेष शर्ते एवं अन्य विवरण यथावत रहेंगे।

भवदीया,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

संख्या-48/2022/423(1)/23-14-2022-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- आयुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
4- जिलाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जौनपुर।
5- प्रमुख अभियन्ता (विकास), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, वाराणसी।
8- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, जौनपुर।
9- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडीटर प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम सत्यनिष्ठ भवन, 15 नार्थहिल रोड, प्रयागराज।
10- वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/लोक निर्माण अनुभाग-10
12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in